संख्या– 279 /VI-I/2006–4(2)2006

प्रेषक,

एस0एस0वल्दिया,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय,
उत्तराखण्ड।

संस्कृति अनुभाग

देहरादून दिनांक 26 जून, 2008

विषय :–ग्राम ध्रुवपुर, कोटद्वार में स्व0 वीरचन्द्र सिंह गढ़वाली जी की मूर्ति स्थापना एवं शहीद स्मारक के निर्माण के संबंध में

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–352 /स.नि.उ./दो–3/2008, दिनांक– 17–5–08 एवं शासनादेश संख्या–473/VI-I/2006–4(2)2006 दिनांक– 16–11–06 जिससके द्वारा उपरोक्त विषयक प्रकरण में रू0 28.45 लाख की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए रू0 10.00 लाख अवमुक्त किया गया है, के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अवशेष धनराशि रू0 18.45 लाख (रू0 अट्ठारह लाख पैतालीस हजार मात्र) की धनराशि शासनादेश संख्या–208/VI-I/ 2008 दिनांक– 8–5–08 के द्वारा आपके निवर्तन पर रखी गयी धनराशि से श्री राज्यपाल महोदय निम्न शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन व्यय किए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

2. उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग केवल उन्हीं मदों में किया जायेगा जिन मदों में यह स्वीकृत किया जा रहा है। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, जिससे व्यय करने के लिए बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्रदान करना आवश्यक है। ऐसे व्यय सम्बन्धित अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिए। स्वीकृत व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। व्यय करते समय मितव्ययता के संबंध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाय। कार्य को समयबद्ध ढंग से शीघ्र पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

3. किसी भी मद में व्यय से पूर्व वित्तीय हस्त पुस्तिका, बजट मैनुअल, भण्डार कय नियम तथा मितव्ययता सम्बंधी समय–समय पर निर्गत शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। उपकरणों का कय डी0जी0एस0एन0डी0 दरों पर किया जाएगा और ये दरें न होने की स्थिति में टेण्डर, कोटेशन विषयक नियमों का अनुपालन करते हुए ही किया जाएगा।

4. आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों जो दरें शिडयूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गयी हो, की स्वीकृति अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

5.कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी। बिना प्राविधिक स्वीकृति के किसी भी दशा में कार्य प्रारम्भ न किया जाये एवं सामग्री कय करने से पूर्व स्टोर परर्चेज नियमों का पालन कराना सुनिश्चित करें। एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

6. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें, तकनीकी दृष्टि को मध्य नजर रखते हुए लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरो/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यो को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

7.कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली–भांति निरीक्षण कर उच्चाधिकारियों द्वारा अवश्य करा लें, निरीक्षण के बाद स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुसार कार्य कराया जाये।

8.निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाय।

9.उक्त धनराशि का आहरण कर जिलाधिकारी, पौड़ी के माध्यम से संबंधित कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करा दिया जाये तथा समय से उपयोगिता प्रमाण एवं वित्तीय एवं भौतिक प्रगति जिलाधिकारी पौड़ी के माध्यम से प्रतिमाह शासन को उपलब्ध कराया जाय।

10. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2008–09 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–11 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–4202–शिक्षा, खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय–04– कला और संस्कृति–106–संग्रहालय–03–संग्रहालय भवन संबंधी निर्माण –00–24 वृहत निर्माण कार्य मानक मद के आयोजनागत पक्ष के नामें डाला जायेगा।

11. उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अ0शा0 पत्र संख्या–113 (पी)/XXVII(3)/2008 दिनांक–02 जून, 2008 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

पठनीय

(एस0एस0वल्दिया)
उप सचिव

पृष्ठांकन संख्या–279 /VI-I/2008–4(2)/2006 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, सहारनपुर रोड़, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0संस्कृति मंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
3. जिलाधिकारी, पौड़ी।
4. मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
5. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग–3,उत्तराखण्ड शासन/बजट राजकोषीय संसाधन निदेशालय, देहरादून।
6. एन.आई.सी. उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से
(श्याम सिंह)
अनुसचिव